

कार्यालय, जिलाधिकारी, दरभंगा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA,

2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा
दिनांक-28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संशोधित प्रमाण-पत्र

संख्या.....663.....दिनांक...01-12-2015

प्रमाणित किया जाता है कि दरभंगा जिले में प्रयोक्ता एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा द्वारा पथ प्रमंडल, दरभंगा के रैखिक परियोजना निर्माण स्थान अन्तर्गत खिरोई नदी के पश्चिमी तटबंध पर दरभंगा समस्तीपुर पथ (एस0एच0- 50) के दुसरे किलोमीटर में एकमीघाट से शोभन ग्राम (एन0च0-57) तक कुल किलोमीटर 9.641 में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 11.596 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-1693 दिनांक-30.07.2015 एवं ज्ञापांक-1979 दिनांक-07.11.2015 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान:-

जिला पदाधिकारी
दरभंगा
जिलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

तिथि:-

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011,

Place:

Dated:

जिला पदाधिकारी
District Magistrate
and Office Seal